<u>आप.प्रक.कमांक—107 / 2007</u> संस्थित दिनांक — 13.11.2006

भगवन्तीबाई पति हीरालाल, उम्र–45 वर्ष, जाति तेली, साकिन–रमगढी, थाना–बिरसा, तह.बैहर,जिला–बालाघाट (म.प्र.)

- '- - - - <u>परिवादी</u>

<u>७</u> // <u>विरूद</u>्ध //

फेकनबाई पति हरलाल, उम्र–58 वर्ष, जाति तेली, साकिन रमगढी, थाना बिरसा तह. बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ _ <u>आरोप</u>

// निर्णय //

<u>(आज दिनांक— 26 / 05 / 2014 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी फेंकनबाई के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता की धारा 323 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक— 24.09.2006 को समय दिन के 2:00 बजे ग्राम रमगढी थाना बिरसा में भगवंतीबाई को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 2— परिवादी का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी और आरोपी एक ही गांव के निवासी तथा पड़ोसी है। परिवादी और आरोपी की बाड़ी एक दूसरे से लगी हुई है। परिवादी ने उसकी बाड़ी के मेड़ पर आम, जामुन, बिही के पौधे लगाये है। आरोपी द्वारा पेड़ों को काटकर घरेलु उपयोग में लिया जाता है और पेड़ों को क्षिति पहुंचता रहता है। परिवादी द्वारा दिनांक 24.09.2006 को दिन के 2:00 ग्राम रामगढ़ी में आरोपी को पेड़ काटने से मना किया गया तो आरोपी ने उसे साली कुतिया छिनाल, वैश्या तू पेड़ काटने से मना करने वाली कौन होती है और उसके साथ लात घुस्सों से मारपीट की। हल्ला सुनकर गांव की नान्हीबाई, बब्लू और मन्नु आया और बीच बचाव किया। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उसने न्यायालय में लिखित परिवाद पत्र पेश किया। परिवाद पत्र एवं परिवादी के कथन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
- 3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर

पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

- 4— आरोपी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया।
- 5— आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिये निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक— 24.09.2006 को समय दिन के 2:00 बजे ग्राम रमगढी थाना बिरसा में भगवंतीबाई को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय बिन्दु कमांक—1 का निष्कर्ष :—

- 6— परिवादी भगवंतीबाई (प.सा.1) का कहना है कि आरोपी फेकनबाई उसकी जेठानी है। घटना उसके कथन के डेढ़ वर्ष पुरानी ग्राम रामगढ़ी बंशी के घर के सामने की है। घटना दिनांक को वह दुकान की तरफ से आ रही थी आरोपी उसे गाली देते हुये आया और उसे लात घुसो से मारा बीच—बचाव नान्हीबाई, बब्लू और मन्नु ने किया था। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी। जो प्रदर्श पी—1 है।
- 7— परिवादी भगवंतीबाई (प.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुये मन्नु(प. सा.2) एवं भरतू (प.सा.3) तथा नान्हीबाई (प.सा.4) का भी कहना है कि घटना वर्ष 2006 के 9वे माह की बंशी के घर के सामने की है। फेकनबाई ने भगवंतीबाई के साथ मारपीट की थी। तो उन्होंने बीच—बचाव किया था और गांव में मीटींग बुलाई थी। मीटींग में फेकनबाई को बुलाया था नहीं आई तो परिवादी भगवंतीबाई ने घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की थी।
- 8— आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि परिवादी एवं परिवादी साक्षी आरोपी के विरूद्ध रंजिश वश झूठा कथन कर यह परिवाद पेश किया है। आरोपी निर्दोष है। उसे छोड़ा जावे।
- 9— आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता पर विचार किया गया।
- 10— परिवादी भगवंतीबाई (प.सा.1) ने स्पष्ट कथन किये है कि आरोपी फेकनबाई ने उसे डेढ़ वर्ष पूर्व—ग्राम रामगढ़ी बालिसंह के घर के सामने गाली देती आई और लात घुसों से मारपीट की थी। बीच—बचाव नान्हीबाई, बुगलबाई, मन्नु ने किया और घर पर जाकर पत्थर फेककर भी मारा था। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी, जो प्रदर्श पी—1 है।
- 11— परिवादी भगवंतीबाई के कथनों का (समर्थन करते ह्ये मन्नू (प.सा.

- 2) एवं भरतू (प.सा.3) तथा नान्हीबाई (प.सा.4) ने भी स्पष्ट कथन किये है कि परिवादी भगवंतीबाई (प.सा.1) एवं परिवादी साक्षी मन्नु (प.सा.2) व भरतू (प.सा. 3) एवं नान्हीबाई (प.सा.4) के कथनों को प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये और न ही इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आया है, जिससे आरोपी को परिवादी ने झूठी रिपोर्ट कर फसाया गया है। यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने दिनांक— 24.09.2006 को समय दिन के 2:00 बजे ग्राम रमगढी थाना बिरसा में भगवंतीबाई को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
- 12— उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर परिवादी अपना परिवाद युक्ति—युकत संदेह से साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने 24.09.2006 को समय दिन के 2:00 बजे ग्राम रमगढी थाना बिरसा में भगवंतीबाई को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 13— परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 14— प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
- 15— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय कुछ समय के लिये स्थिगत किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

पुनश्च :-

- 16— दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- 17— आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी को पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।
- 18— प्रकरण के अवलोकन से आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी ने दिनांक— 24.09.2006 को समय दिन के 2:00 बजे ग्राम रमगढी थाना बिरसा में भगवंतीबाई को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति

को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड से दिण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी फेगनबाई को भारतीय दण्ड सिहता की धारा 323 के आरोप में 1,000 / — (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिकृम में आरोपी को एक माह को साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

19— निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे उद्बोदन पर टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (म०प्र०) (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (म०प्र०)

